न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/270/2016

उनवान

1. जमना कुमावत आत्मज मांगी लाल कुमावत निवासी कुम्हारिया खेड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्रीमती जमनी पत्नि नारायण कुमावत निवासी कुम्हारिया खेड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. रामचन्द्र कुमावत आत्मज सेवा कुमावत निवासी कुम्हारिया खेड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 05/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.5.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री शोभागमल कुमावत , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2
3. श्री एम एल सेन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 17.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुम्हारिया खेडा पटवार क्षेत्र देवली तहसील व जिला भीलवाडा में वर्तमान बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 264 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वादीएवं प्रतिवादी संख्या 1 से3 के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सामलाती खातेदारी हक अधिकारों से दर्ज रेकार्ड है और उक्त आराजी के 1/2 अर्थात आधे हिस्से पर वादी अपने पूर्वजों के समय से लगभग 35 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता कराता आ रहा है और शेष1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त आराजी जिसके साबिक आराजी नम्बर 212, 221 को वादी के पिता स्व0 मांगी लाल जी कुमावत ने1/2 हक हिस्से एवं अधिकारों से श्री लेहरू पिता जालम जी कुमावत एवं सेवा पिता जालम जी कुमावत ने संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्से एवं अधिकार अनुसार श्री नन्द पिता गोपी गुर्जर निवासी फामडिया खेडा तहसील एवं जिला भीलवाडा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.1. 1974 एवं पंजीयन दिनांक 15.1.1974 से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था और तब से इसी अनुसार उक्त खरीददार उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। जिसमें से श्री मांगी लाल जी के वारिसान के रूप में वादी अकेला खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्से के खरीददारों श्री लेहरू के बजाय श्रीमती जमनी पत्नि नारायण कुमावत प्रतिवादी नम्बर 1 एवं श्री सेवा के बजाय विरासत से प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती घीसी एवं प्रतिवादिया संख्या 3 श्री रामचन्द्र वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

2. उपरोक्त अनुसार वादी के पिता मांगी लाल का 1/2 हक व हिस्सा होना एवं श्री सेवा व लहरू का संयुक्त रूप से 1/2 हक व हिस्सा होने के प्रमाण के रूप में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.1.1974 पंजीयन दिनांक 15. 1.1974 में एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर फैसल किये गये नामान्तरकरण संख्या 38 फैसल दिनांक 22.110.1978 में तत्कालीन समय के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारी द्वारा अंकन किया हुआ है। बाद में रोटेशन की जमाबंदियों में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व कर्मचारियों से प्रतिवादीगणों ने मिलीभगत करते हुएवादी के पिता मांगी लाल जी का जो 1/2 हक हिस्सा एवं अधिकार था उनको राजस्व रेकार्ड में से हटवादिया जबकि राजस्व अधिकारियों एवं प्रतिवादीगणों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय या रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना राजस्व रेकार्ड में ऐसा परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। उक्त परिवर्तन से वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडाहै और प्रतिवादीगण को नाजायज लाभ पहूँचा है। क्योंकि उक्त भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा है उसी पर वादी काबिज है। उसके बजाय रेकार्ड में वादी का हिस्सा 2/5 दर्ज कर दिया गया है। जो गलत है तथा इसी प्रकार वादिया श्रीमती जमनी का 1/4 हक व हिस्सा होना चाहिये जिसके बजाय उसे 1/3 हक व हिस्सा की अधिकारी बना दया गयाजो गलत है और इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को भी 1/3 का हिस्सेदारबना दिया। जबकि उनका भी 1/4 हक व हिस्सा होता है। अर्थात प्रतिवादीगण को कानूनन जितना हक व हिस्सा बनता है उससे अधिक हिस्सा उनको दिया गया है। और वादी को जितना हिस्सा मिलना चाहिये उससे वादी को वंचित कर दिया गया है जो कानूनन गलत है।

3. वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को राजस्व रेकार्ड में हुए इस गलत अंकन को दुरूस्त कराने के लिए कई बार मौखिक कहा लकिन वर्तमान जमीन की बाजार दरें बढ जाने से उनकी नियत में फितुर आ गया है जिस कारण वादी की बात को अनसुना कर टालमटोल कर रहे है।

4. अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम कुम्हारिया खेडा पटवार क्षेत्र देवली जिला भीलवाडा की वर्तमान बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 264 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा में से1/2 हक वहिस्से का खातेदार काश्तकार अकेले वादी को घोषित किया जावे एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

शेष 1/2 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से घोषित किया जावे। इसी अनुसार वादग्रस्त आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर हिस्से अनुसार खाता अलग दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को उसके 1/2 हक हिस्से की भूमि के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावे। इसके लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच समझौता होने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा पटवार हल्का को राजीनामा होने से हक हिस्सा दुरूस्त करने के लिए कहा तो उनके द्वारा कोई निर्णय/आदेश प्राप्त नहीं होने की जानकारी हुई। जिस पर अपीलार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी करने पर गलत तौर पर कार्यवाही नहीं चाहने की आदेशिका से वादपत्र को खारिज करने की जानकारी हुई। इस पर अधिनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु निवेदन किया। पुनर्विलोकन नहीं होना बताया। इस पर निर्णय की नकल हेतु दिनांक 09.06.2016 को आवेदन पेश

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर दिनांक 30.09.2016 को नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त होते ही अपील तैयार कर अविलम्ब अपील पेश की गई। अतः निर्णय की दिनांक से अपील प्रस्तुत करने की अवधि को क्षम्य फरमा अपील को मियाद में शुमार फरमावें।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में राजस्व लोक अदालत कैम्प देवली में दिनांक 19.05.2016 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 2 ने एक राजीनामा प्रार्थना पत्र गलत हक हिस्सा दर्ज को स्वीकार कर सही हिस्सा दर्ज करने हेतु पेश किया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा कभी भी वाद पत्र को खारिज किए जाने हेतु राजीनामा पेश नहीं किया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने खाली ऑर्डर शीट व राजीनामा प्रपत्र में मनमाने तौर पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समझोता होने का कथन अंकित करते हुए प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत लिखकर वादपत्र को खारिज कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 ने राजस्व लोक अदालत कैम्प देवली पर राजीनामे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो उचित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2016 का अध्ययन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 29.04.2013 में वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। साक्ष्य प्रतिवादी भी उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 08.05.2013 को नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 08.05.2013 से 30.03.2016 तक की आदेशिकाओं में पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने , चुनाव कार्य एवं अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण पेशीयां तब्दील किया जाने का अंकन है। दिनांक 30.03.2016 की आदेशिका में आगामी पेशी 22.06.2016 नियत की गई इसी बीच प्रकरण कोर्ट कैम्प देवली पर प्रस्तुत की गई। वादी व प्रतिवादी रामचन्द्र ने कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच समझौता होने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। कार्य ड्रोप की जावे। वादी जमना एवं प्रतिवादी रामचन्द्र की पहचान गवाह श्री कन्हैयालाल पिता मांगू कुमावत कुम्हारिया खेड़ा के द्वारा किया जाना स्पष्ट होता है। उक्त राजीनामा के आधार पर प्रकरण में दिनांक 19.05.2016 को आदेशिका संधारित करते हुए वादी व प्रतिवादीगण के बीच समझौता होने व प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहने से वाद पत्र खारिज किया जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के रिव्यू हेतु अपीलार्थी/वादी के द्वारा दिनांक 31.05.2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया कि ''प्रकरण वादी प्रतिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामे से कोर्ट केम्प के दौरान आपसी समझौते से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली फैसल की गई। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।''अधिनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत हुआ। जिसका निस्तारण राजीनामें से किया गया जिसमें डिक्री जारी नहीं की गई थी, परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.05.2016 को समझौते के आधार पर पारित आदेश को ही डिक्री का पार्ट मानते हुए प्रकरण में सुनवाई की गई है। चूंकि राजीनामें के आधार पर पारित निर्णय की डिक्री विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदिनांक तक जारी नहीं होना प्रकट होता है, तथा अपीलाण्ट द्वारा भी डिक्री प्राप्त किये जाने बाबत कोई कार्यवाही किया जाना पत्रावली से प्रकट नहीं है।अतः डिक्री के अभाव में भी अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पाते हैं।

12. उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण आपसी समझौते से कोर्ट कैम्प में निस्तारित किया गया है। विधिक नियमों के तहत यह स्पष्ट है कि जिस प्रकरण का निस्तारण पक्षकारान के द्वारा आपसी समझौते से करवाया है उस आदेश के विरूद्ध अपील ग्राह्य नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट/वादी जमना पिता मांगीलाल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पत्र व फर्द अहकाम दिनांक 19.05.2016 पर उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर किये हैं। अपीलाण्ट/वादी द्वारा समझौता हो जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहा जाना रिकॉर्ड से प्रकट होता है। अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी की सहमति अनुसार वाद खारिज किये जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, ऐसे में अपीलाधीन आदेश को त्रुटीपूर्ण नही कहा जा सकता। अपीलाण्ट/वादी की सहमति से ही प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप हुई है, अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

14. निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/270/2016

उनवान

1. जमना कुमावत आत्मज मांगी लाल कुमावत निवासी कुम्हारिया खेड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्रीमती जमनी पत्नि नारायण कुमावत निवासी कुम्हारिया खेड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. रामचन्द्र कुमावत आत्मज सेवा कुमावत निवासी कुम्हारिया खेड़ा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण
संख्या 05/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.5.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/270/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 17.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री शोभालाल कुमावत प्रत्थर्थी संख्या 1 की ओर से श्री एम एल सेन व प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से वकील श्री मनीष कांटिया एवं प्रत्यर्थी सं0 3 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 17.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 17.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

19 TA / 270 / 2016 जमना बनाम जमनी

के खर्चे

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

17/9/19.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★